अखिल भारतवर्षीय श्री वैश्य बारहसैनी महासभा (पंजीकृत)
संशोधित विधान

नियमः–

1 क. **नाम :** इस संस्था का नाम **'अखिल भारतर्षीय श्री वैश्य बारहसैनी महासभा'** होगा।

ख. **कार्यालय :** इस संस्था का मुख्य कार्यालय श्री वार्ष्णेय मन्दिर, अचल ताल रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में रहेगा।

2. **उद्देश्य :** सभा के मन्तव्य तथा उद्देश्य विस्तारपूर्वक उद्देश्यों में दिये हैं।

3. **सदस्यः**

अ. समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, एवं रू 11,000/– सदस्यता शुल्क देकर महासभा का आजीवन सदस्य हो सकता है, जिसकी अवधि 20 वर्ष होगी।

आ. समाज की प्रत्येक संस्था, जिसके उद्देश्य महासभा के उद्देश्यों के समान हो, रू 1100/– सदस्यता शुल्क देकर महासभा की एक सत्र (तीन वर्षिय) की सम्बद्धता प्राप्त कर सकती है।

उपर्युक्त सदस्यता हेतु निम्नलिखित शर्तें होंगी :

क. महासभा की सदस्यता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन देना होगा।

ख आवेदक किसी प्रकार का नैतिक दोषी न हो व किसी भी अपराध में न्यायालय से दोषी न पाया गया हो।

ग कार्य समिति को सदस्य बनाने या न बनाने का पूरा अधिकार होगा यदि कार्य समिति किसी को सदस्य बनाने से इन्कार करेगी तो उसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा, केवल उसकी सूचना दी जायेगी।

4 **सभासदः** महासमिति द्वारा कार्य समिति के लिए निर्धारित सदस्य, अन्य सदस्य जो मनोनीत किये गये हों व पदेन सदस्यों को सभासद कहा जायेगा।

5 **महासमितिः** महासमिति का गठन महासभा के सदस्यों में से निम्न प्रकार होगा :

क निवर्तमान कार्यसमिति के प्रधान, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष।

ख सभी सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा 5 प्रतिशत सदस्यों किन्तु अधिक से अधिक 5 चुने हुए या मनोनीत सदस्यों को लेकर।

ग संगठन की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत को इक्कीस (21) भागों में निम्न प्रकार विभाजित किया जायेगा :

क्षेत्र–1 अलीगढ़ महानगर (उत्तर)।

क्षेत्र–2 अलीगढ़ महानगर (दक्षिण)।

नोट : उपर्युक्त क्षेत्रों की विभाजन रेखा आगरा जी टी रोड होगी।

क्षेत्र–3 सम्पूर्ण जिला अलीगढ़ सिवाय अलीगढ़ महानगर के।

क्षेत्र–4 सम्पूर्ण जिला हाथरस (महामाया नगर)।

क्षेत्र–5 सम्पूर्ण जिला मथुरा।

क्षेत्र–6 सम्पूर्ण जिला आगरा, शिकोहाबाद, इटावा व फिरोजाबाद।

क्षेत्र–7 सम्पूर्ण जिला गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर व मेरठ।

क्षेत्र–8 सम्पूर्ण जिला बुलन्दभाहर, बिजनौर, सहारनपुर व मुज्जफ्फरनगर।

क्षेत्र–9 सम्पूर्ण जिला मुरादाबाद, चन्दौसी (बहजोई, सरायतरीन व सम्भल आदि), रामपुर व ज्योतिवाराव फूले नगर।

क्षेत्र–10 सम्पूर्ण जिला बदायूं, बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर।

क्षेत्र–11 सम्पूर्ण जिला एटा (कासगंज) फरूखाबाद व मैनपुरी।
क्षेत्र–12 सम्पूर्ण जिला कानपुर, लखनउ, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोंडा, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर व बस्ती।
क्षेत्र–13 सम्पूर्ण जिला सुल्तानपुर, बांदा, हमीरपुर, प्रतापगढ़, झांसी, ललितपुर व उरई।
क्षेत्र–14 सम्पूर्ण दिल्ली राज्य (दिल्ली एवं नई दिल्ली)।
क्षेत्र–15 सम्पूर्ण राज्य हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व जम्मू एवं कश्मीर।
क्षेत्र–16 सम्पूर्ण राज्य राजस्थान।
क्षेत्र–17 सम्पूर्ण राज्य महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा।
क्षेत्र–18 सम्पूर्ण राज्य आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल।
क्षेत्र–19 सम्पूर्ण राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, उड़ीसा एवं उत्तरपूर्वी सभी राज्य।
क्षेत्र–20 सम्पूर्ण राज्य उत्तरांचल ।
क्षेत्र–21 मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ ।

घ नियम 3 (अ) के अनुसार महासभा के सभी आजीवन सदस्य।

ड. यदि कोई महासमिति का सदस्य महासभा के विधान के विरूद्ध तथा उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा पहुंचाता है, विधान का पालन नहीं करता है तो कार्य समिति ऐसे सदस्य को महासभा की सदस्यता से निरस्त कर सकती है।

6 **कोरम :** महासमिति का कोरम 100 अथवा सम्पूर्ण सदस्यों का 1/10 भाग (जो भी कम हो) होगा।

7 **अधिकार :** महासमिति के अधिकार निम्नलिखित होंगें :

क महासभा का आगामी सत्र का कार्य संचालन करने के लिए कार्य समिति के सभासदों एवं पदाधिकारियों का चुनाव तथा आनुमानिक लेखा अंतिम रूप से पास करना। महासमिति द्वारा पास किया हुआ बजट व चुनाव खुले अधिवेशन में जन साधारण की सूचनार्थ सुनाये जाया करेंगें।

ख आय व्यय निरीक्षक एवं कार्यालय सचिव का मनोयन करना (जो कार्यसमिति का सभासद न होगा)।

ग आवश्यकता पड़ने पर कार्यसमिति अथवा उसके किसी सभासद के उपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करना (अविश्वास का प्रस्ताव महासमिति के न्यून से न्यून सदस्यों के हस्ताक्षरों से ही पेश हो सकेगा तथा उपस्थिति के 2/3 के बहुमत से पास हो सकेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रस्ताव पास होने पर पद त्याग करना अनिवार्य होगा)।

घ महासमिति की बैठक ही साधारण अधिवेशन समझी जायेगी।

ड. कार्यसमिति के प्रत्येक निर्णय की अपील महासमिति में ही हो सकेगी।

च कार्यसमिति के गत वर्षों के कार्यों का विवरण महामंत्री की रिपोर्ट के माध्यम से सुनने का अधिकार महासमिति को होगा।

छ गत वर्षों के आय व्यय का ब्यौरा जो पूर्ण रूप से बाह्य लेखा परीक्षक चार्टर्ड (एकाउन्टेन्ट) द्वारा आडिट किया हो, को महासमिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं पारित कराने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों पर होगी।

ज बाह्य आडिटर की नियुक्ति करना।

8 **कार्यसमिति :** महासभा का प्रबन्ध महासमिति द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सभासदों के अधीन होगा जो कार्य समिति होगी :

क प्रधान–एक, उप–प्रधान (वरिष्ठ)–एक, उप–प्रधान (कनिष्ठ)–चार, महामंत्री–एक, संयुक्त महामंत्री–एक, कोषाध्यक्ष–एक, संयुक्त मंत्री–एक, संगठन मंत्री–एक, प्रचार मंत्री–एक, उपमंत्री–चार (एक अलीगढ क्षेत्र के लिए सुरक्षित),
उप–प्रधान (क्षेत्रीय)–21, मंत्री (क्षेत्रीय)–21 एवं सभासद–42
(1) प्रत्येक क्षेत्र से एक उप–प्रधान एक मंत्री एवं दो सभासद निर्वाचित या मनोनीत होंगें)।
(2) **उप प्रधान (कनिष्ठ) एवं उपमंत्रीयों का मनोनयन समस्त भारतवर्ष में संगठन के कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधान, महामंत्री एवं उप-प्रधान (वरिष्ठ) द्वारा होगा अर्थात ये पद चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहेंगे।**

क 1 पात्रता : प्रधान, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए किन्ही दो गत सत्रों में कार्यसमिति **में पदाधिकारी या सभासद** होना अनिवार्य होगा ।

क 2 **उप प्रधान (वरिष्ठ) का पद महा-अधिवेशन एवं चुनाव का आयोजन करने वाली संस्था के लिए सुरक्षित होगा।**

ख कार्यसमिति में निर्वाचित सभासदों की अधिकतम संख्या 55 होगी, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र को दो सभासद चुनकर या मनोनीत करके कार्य समिति में भेजने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त अधिकतम 10 सभासदों को मनोनीत करने का अधिकार कार्यसमिति को होगा। कार्य समिति में कम से कम दो महिला सभासदों को स्थान दिया जायेगा।

ग प्रत्येक पदाधिकारी एवं सभासद को निम्न प्रकार निवाचन /मनोनयन शुल्क देना होगा :
1. प्रधान, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष 11,000/– रूपये।
2. अन्य पदाधिकारी 5100/– रूपये।
3. उप–प्रधान (क्षेत्रीय) एवं मंत्री (क्षेत्रीय) 2100/– रूपये एवं सभासद 1100/– रूपये।

घ कार्यसमिति के सभी सभासदों एवं पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक तीसरे वर्ष महा सम्मेलन से पूर्व किया जायेगा। सत्र के मध्य में किसी सभासद या पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर उसका **मनोनयन** कार्य समिति द्वारा **किया** जायेगा।

ड. कार्य समिति के प्रत्येक सभासद व पदाधिकारी को प्रतिज्ञा–पत्र भरना, अपना सदस्यता शुल्क देना और कार्यसमिति की कम से कम 1/4 बैठकों में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा तथा लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर कार्यसमिति को अधिकार होगा कि ऐसे सभासद या पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त, एक माह में समुचित उत्तर न आने पर कार्यसमिति की सदस्यता से हटा दें।

च कोई भी पदाधिकारी लगातार दो सत्र से अधिक उसी पद पर न रह सकेगा।

छ कार्यसमिति का कोई भी सभासद या पदाधिकारी यदि महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है, महासभा के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करता है तो कार्यसमिति के सभासद/पदाधिकारी को कार्यसमिति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।

ज यदि किन्ही आकस्मिक कारणों से अथवा कार्यसमिति द्वारा पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप कोई स्थान कार्यसमिति में रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति महासभा की महासमिति के सदस्यों में से कार्यसमिति क्षेत्रानुसार कर लेगी। किसी भी अवस्था में कार्यसमिति द्वारा किये गये निर्णय कार्यसमिति की संख्या में कमी के कारण अवैध न होगा।

झ बहिर्गामिनी कार्यसमिति के प्रधान, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष आगामी कार्यसमिति के पदेन सदस्य होंगें।

9 **अधिकारः** कार्यसमिति के अधिकार निम्नलिखित होंगें :

क महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी सम्भव उपाय करना।

ख महासभा की आय में दान चन्दा, हिवै और महासभा की निजी सम्पत्ति की आय सम्मिलित होगी और उसे महासमिति द्वारा पास किये गये बजट की अवधि तक व्यय करने का अधिकार कार्यसमिति को होगा।

ग अपने कार्य संचालन के लिये धन संग्रह एवं शाखा सभाओं का निरीक्षण तथा प्रबन्ध महासभा के मन्तव्यों के प्रचारार्थ उप समितियों एवं शिष्ट मंडल संगठित करना तथा उन्हें अधिकार देना।

घ समाज के अधिकतम ऐसे तीन विशिष्ट व्यक्तियों को संरक्षक मनोनीत किया जा सकेगा जिनकी 60 वर्ष से अधिक हो व उनका समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हो व बैठकों में भाग लेकर मार्गदर्शन कर सकते हों।

ड. निर्वाचन अधिकारी का चयन, चुनाव तिथि से तीन माह पूर्व करना। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन में किसी भी पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकेगा।

च चुनाव पर्यवेक्षकों का चयन। चुनाव पर्यवेक्षक निर्वाचन में किसी भी पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकेगा।

10 **कार्यसमिति की बैठकें** :

कार्यसमिति की बैठकों के नियम निम्नलिखित हैं :

क जब जब प्रधान और महामंत्री आवश्यक समझेंगें तब तब कार्यसमिति की बैठकें हुआ करेंगी जिनकी सूचना कम से कम 30 दिन पहले दी जायेगी। वर्ष में कम से कम चार बैठक बुलाना आवश्यक होगा।

ख कम से कम 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर भी कार्यसमिति की बैठकें हो सकेंगी।

ग कार्यसमिति की गणपूर्ति 31 होगी किन्तु स्थगित बैठक के लिये गण संख्या की आवश्यकता न होगी स्थगित बैठक उसी स्थान पर आधे घंटे बाद आमंत्रित की जा सकेगी।

घ विशेष परिस्थितियों में प्रधान या महामंत्री द्वारा विषेश साधारण सभा बुलाई जा सकेगी। यह सभा दस दिन की सूचना पर बुलाई जा सकती है एवं इस सभा में सिर्फ उन्हीं विषयों पर विचार/निर्णय होगा जिनके लिये यह बैठक बुलाई गई है।

ड. प्रत्येक विषय का निर्णय बहुमत से होगा किन्तु समान सम्मतियों की अवस्था में सभापति को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

च समिति का कोई भी स्वीकृत प्रस्ताव पास होने की तारीख से तीन मास तक नहीं बदला जा सकेगा। विशेष अवस्था में उपस्थिति के 3/4 के बहुमत से बदला जा सकेगा किन्तु उसी बैठक में नहीं।

11 **पदाधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार** :

पदाधिकारियों, सदस्यों व सभासदों के कर्तव्य व अधिकार निम्नलिखित होंगें :

क. प्रधान

1 वार्षिक अधिवेशन, विषेश अधिवेशन, महासमिति एवं कार्य समिति की बैठकों का सभापतित्व करना।

2 बैठकों का नियंत्रण तथा सभा का पथ प्रदर्शन **एवं उसके कार्यों की देख-भाल** करना।

3 विचारणयीय विषयों को सभा के सामने उपस्थित करना एवं मत गणना का परिणाम घोषित करना।

4 तात्कालिक व्यवस्था देना।

5 कार्य–विवरणों, आदेशों, नियमों, प्रस्तावों तथा आय व्यय को अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करना।

6 वक्तृताधिकार देना।

7 निर्णायक मत देना।

8 धन्यवाद, प्रशंसा, शोक सम्बन्धी अथवा अन्य ऐसे ही विरोध रहित प्रस्ताव पेश करना।

9 गतिरोध की अवस्था में सभा भंग करना।

ख. उप–प्रधान (वरिष्ठ) :

1 प्रधान की अनुपस्थिति में उसके सब अधिकारों का उपयोग करना एवं उसके कर्तव्यों का पालन करना।

2 प्रधान के निर्देशानुसार सभा के समस्त कार्यों में सहयोग देना।

ख (अ) उप–प्रधान (कनिष्ठ) :

1. महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने अपने क्षेत्रों में समाज को संगठित करके संगठन का विस्तार करना

2. **प्रधान की सलाह पर अन्य समाजोत्थान के कार्यों को मूर्त रूप देना**

ग. महामंत्री :

1 सभा की समस्त बैठकों की नियमानुसार सदस्यों की सूचना देना।

2 बैठक का कार्यक्रम तैयार करके प्रस्तुत करना।

3 बैठक की कार्यवाही लिखना।

4 प्रस्ताव, संशोधन आदि लिखना।

5 सभा के समस्त कागजात को सुरक्षित रखना।

6 सभा के समस्त पत्र–व्यवहार को निरीक्षण व मार्गदर्शन करना।

7 आय–व्यय का लेखा रखना।

8 कर्मचारियों के कार्यों की देख–भाल व कार्यालय की व्यवस्था करना।

9 चन्दा, दान आदि एकत्र करना।

10 निर्वाचित सदस्यों व कार्यकर्ताओं की आवश्यक सूचनायें, कागजात व जानकारी भेजना।

11 वार्षिक अधिवेशन में सभा की प्रगति का विवरण व आनुमानिक लेखा पेश करना।

12 आदेशों, आज्ञाओं व पत्र आदि पर हस्तक्षर करना।

13 महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से समस्त कानूनी कार्यवाहियों में भाग लेना अथवा अपनी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति की इसके लिये नियुक्त करना।

14 आवश्यकता पड़ने पर एक मास में 5,000/– रू तक व्यय करना। **इसके उपरांत इस व्यय को कार्यसमिति में प्रस्तुत कर पारित करना होगा** ।

घ. संयुक्त महामंत्री :

महामंत्री की अनुपस्थिति में उसके सब कार्यों का संचालन करना एवं उसके अधिकारों का उपयोग करना। प्रधान व महामंत्री के निर्देशानुसार महासभा के समस्त कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

घ1. संगठन मंत्री :

1 महासभा के संगठनों से जुड़े सभी कार्यों की देखभाल करना। समिति को संगठन से जुड़े कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत करना व संगठन सम्बन्धी पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित करना।

2 विभिन्न स्थानीय संस्थाओं को महासभा से सम्बद्ध कराने का निरन्तर प्रयास करना।

3 प्रधान व महामंत्री के निर्देशानुसार महासभा के संगठनात्मक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

घ2. **प्रचार मंत्री :**

1 महासभा के कार्यकलापों का प्रचार व प्रसार करना।

2 प्रधान व महामंत्री के निर्देशानुसार समिति में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वयन हेतु प्रसारित करना और उनकी प्रगति से समिति को अवगत कराना।

टिप्पणी : बैठकों के संचालन हेतु क्षेत्रीय मंत्री को प्राथमिकता दी जायेगी।

घ3. **संयुक्त मंत्री :**

महामंत्री, संगठन मंत्री एवं प्रचार मंत्री की सलाह पर महासभा के कार्यों को मूर्त रूप देना

ड. **कोषाध्यक्ष :**

1 महासभा के समस्त धन को सुरक्षित रखना तथा संस्था के धन पर नियंत्रण रखना एवं आय–व्यय का विधिवत लेखा रखना।

2 महामंत्री व प्रधान की संस्तुति से व्यक्ति विशेष को धन देना व बिलों का भुगतान करना।

3 प्राप्त धन को महासभा के बैंक खातों में तुरन्त जमा कराना।

4 वर्ष के अंत में आय–व्यय के खातों को आडिट कराना तथा कार्य समिति से स्वीकृत कराकर महासभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

5 प्रधान व महामंत्री के निर्देशानुसार बजट तैयार करना।

च **आय–व्यय निरीक्षक :**

कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय लेखा की जांच करना और उसके औचित्य की साक्षी देना तथा अनौचित्य की सूचना कार्यसमिति को देना।

छ **उप–प्रधान (क्षेत्रीय) :**

1 अपने क्षेत्र को संगठित करना एवं क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक आयोजनों को प्रोत्साहित एवं कार्यान्वित करना।

2 प्रधान व वरिष्ठ उप प्रधान की अनुपस्थिति में अपने क्षेत्र की बैठकों का सभापतित्व करना।

3 **समय समय पर अपने क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट कार्यसमिति की बैठक में रखना**

ज **मंत्री (क्षेत्रीय) :**

अपने क्षेत्र में उपनियम (ग) के अन्तर्गत दिये गये उत्तरदायित्व निभाएगा और अपने क्षेत्र के उप प्रधान को सहयोग करेगा।

झ. **सदस्य तथा सभासद :**

1 सभा के शिष्टाचार और गौरव की रक्षा करना।

2 विरोध होते हुए भी सभा के बहुसम्मत निर्णय को मानना।

3 प्रस्तावों पर मत देना व आवश्यक होने पर मत विभाजन की मांग करना।

4 अनियमितता की ओर सभापति का ध्यान शिष्टतापूर्वक आकर्षित करना।

12 **कोष :**

सभा का कोष सदस्यों के चन्दे व दान तथा सभा की सम्पत्ति की आय से निर्मित होगा और उसकी व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी :

क सभा का समस्त कोष, कोषाध्यक्ष के पास अथवा बैंक में रहेगा। (कोषाध्यक्ष के पास एक समय में अधिक से अधिक धन 2500/– रूपये रहेगा)।

ख बैंक में धन सभा के नाम रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर प्रधान, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के किसी दो के हस्ताक्षरों से जिनमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा ही धन निकाला जा सकेगा।

ग किसी विभोशकार्य के लिये आये हुए दान को छोड़कर जो आय महासभा की होगी उसका 1/10 भाग स्थायी कोष में रखा जायेगा। स्थायी कोष का धन व यय न किया जायेगा, उसकी केवल आमदनी ही व्यय की जा सकेगी।

घ महासभा का समस्त कोष व धन ऐसी निधियों/प्रतिभूतियों व बैंकों आदि में विनियोजित किया जाएगा जिनका प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) या अन्य संशोधित धाराओं में हो।

13 **अधिवेशन** :

सभा के लिये अधिवेशन निम्न प्रकार से होंगें जिनमें महासभा के समस्त सदस्य भाग ले सकेंगें :

क महासभा का चुनाव अधिवेशन/महा अधिवेशन प्रत्येक तीसरे वर्ष ऐसे स्थान में हुआ करेगा जिसकी सूचना गत अधिवेशन में या उसके पश्चात कार्य समिति द्वारा सदस्यों को दो माह पूर्व दी जा चुकी हो।

ख साधारण अधिवेशन के स्थान की सूचना कार्यसमिति द्वारा अधिवेशन से दो मास पहले तथा विशेष अधिवेशन के स्थान की सूचना अधिवेशन से एक मास पहले दी जाया करेगी किन्तु विशेष परिस्थिति व विशेष कारणोंवश कार्यसमिति 15 दिन की सूचना देकर भी विशेष अधिवेशन कर सकती है।

ग साधारण अधिवेशन की तिथि कार्यसमिति द्वारा स्वागत/समन्वय समिति (यदि कोई हो) की सहमति के अनुसार न्यून से न्यून अधिवेशन की तिथि से एक मास पहले नियत की जाया करेगी और विशेष साधारण अधिवेशन तिथि अधिवेशन से 15 दिन पूर्व नियत की जायेगी।

घ महासमिति के अधिवेशन आवश्यकता पड़ने पर चाहे जब हो सकते हैं किन्तु वर्ष में महासमिति की अधिवेशन अवश्य हुआ करेगा।

ड. महासमिति के कम से कम 1/10 सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर महासमिति की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी। यदि महामंत्री 15 दिन के अंदर बैठक न बुलाये तो ये सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं।

झ. महा अधिवेशन एवं चुनाव संपन्न करने वाली संस्था के दायित्व एवं कर्तव्य –

1. **संस्था महासभा के दिशानिर्देशों का पालन करेगी तथा महा अधिवेशन एवं चुनाव के आयोजन हेतु चयनित स्थल का निरिक्षण महासभा के पदाधिकरिरों को करा कर पूर्वानुमति लेना होगा.**
2. **महा अधिवेशन में आये प्रतिनिधियों / मतदाताओं के ठहरने, भोजन एवं रहन सहन आदि की व्यवस्था का दायित्व होगा.**
3. **कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रसाशन आदि से अनुमति लेने की जिम्मेदारी होगी.**
4. **महा अधिवेशन एवं चुनाव में होने वाले सम्पूर्ण व्यय की जिम्मेदारी आयोजक संस्था की ही होगी.**
5. **चुनाव सम्बंधित प्रक्रिया के लिए चुनाव अधिकारी के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तथा चुनावोपरांत मतगणना एवं परिणाम की घोषणा तक आवश्यक व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजक संस्था की ही होगी.**

14 महासमिति के निर्णय कार्यसमिति के सभासदों तथा पदाधिकारियों की अनिवार्यतः मान्य होंगें।

15 क कार्यसमिति अपने कर्मचारियों के पथ प्रदर्शन के लिये तथा महासभा के उद्देश्य सम्बन्धी कार्य संचालन के लिये नियम उपनियम तथा कार्य प्रणाली भी बनायेगी।

ख निर्वाचन सम्बन्धी सभी विवाद कार्यसमिति द्वारा गठित निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकेंगें। किसी भी न्यायालय में निर्वाचन सम्बन्धी विवाद नहीं उठाया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।

16 इन नियमों में परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं संशोधन, साधारण अधिवेशन अथवा विषेश साधारण अधिवेशन में ही हो सकेंगें। ऐसे परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं संशोधन एक माह पहले ही सम्बद्ध संस्थाओं को भेज देना चाहिए।

उप नियम :

समाज की अन्य संस्थाओं को महासभा से सम्बद्ध करने के लिए नियम 3 की अंतर्गत गठित उप नियम आव यक समझेगी सम्मलित करके महासभा के अधिवेशन से पूर्व भेजना होगा।

1 सम्बद्ध होने की इच्छा रखने वाली संस्था को आवश्यक है कि यह महासभा को मातृ संस्था माने और उसके उद्देश्यों का पालन करने के लिए तत्पर हो।

2 सम्बद्ध संस्था को महासभा के आदेशों का पालन करना होगा।

3 उसको अपना वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें सदस्यों की संख्या, अधिवेशन के प्रस्ताव, वार्शिक आय व्यय लेखा एवं जानकारी जिसे महासभा चाहे देनी होगी।

4 अपने निर्वाचन के एक मास के अंदर अपनी कार्यसमिति तथा पदाधिकारियों की सूची भेजना आवश्यक होगा। कार्यसमिति में परिवर्तनों की सूचना भी इसी प्रकार देनी होगी।

5 सम्बद्ध संस्था की कार्य विधि के निरीक्षण का अधिकार महासभा को होगा।

6 नियम 5 (ख) के अनुसार, सभी सम्बद्ध संस्थाएं अपने चुने या मनोनीत प्रतिनिधियों को महासभा के महामंत्री या निर्वाचन अधिकारी को उनके फोटो, पूरे पते एवं हस्ताक्षर सहित पूर्ण विवरण के साथ, चुनावों से कम से कम तीन माह पूर्व भेजेंगीं।

7 सम्बद्ध संस्थाओं को महासभा द्वारा सम्बद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा और उन्हीं संस्थाओं द्वारा प्रेशित सभासद एवं सूचनायें ही मान्य एवं स्वीकार होंगीं।

8 **संस्था की सम्बद्धता के लिए पात्रता : संस्था एक वर्ष एक दिन से ज्यादा पुरानी हो तथा वर्ष में कम से कम दो समाज हित के कार्य करती हो जिसकी संस्तुति वर्तमान क्षेत्रीय पदाधिकारियों में से किन्ही दो द्वारा की गयी हो।**